

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/एमएससी 21-22/2021/

दिनांक-

संयोजक,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सेक्टर 18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर,
टॉक रोड, जयपुर।

विषय:- सत्र 2021-22 में एम.एस.सी(नर्सिंग) प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में राज्य सेवा में नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक के एम.एस.सी (नर्सिंग) हेतु वर्ष 2021-22 में बैठने की अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी मूल ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री महेश तनानी नर्स श्रेणी द्वितीय	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।

संलग्न:- मूल आवेदन पत्र

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/एमएससी 21-22/2021/1771
प्रतिलिपि सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक-14/12/21

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का आवेदन पत्र निम्न शर्तों पर अग्रेषित किया जा रहा है:-
 - उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
 - प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।
 - राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
 - पूर्व में जिन कर्मियों राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुए एम.एस.सी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति पर की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हें एम.सी.सी प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश) यह प्रशिक्षण करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे यह अध्ययन स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्ध वैतनिक/असाधारण अवकाश) पर करेंगे अन्यथा अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।
 - संविदा/प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर पात्र नहीं माने जावेंगे।
 - सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में बिना सक्षम
 - स्वीकृति के कोर्स में सम्मिलित न हो।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर